

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- १६/१०८

संचिका सं० १७/ए-३-१२/०७-२३(१) स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पैदेलॉजी विभाग के नियमानुसार ट्र्यूटों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में अधिसूचना के उपरान्त योगदान की तिथि से वेतनमान 10000-15200/- प्रति माह में सहायक प्राव्यापक पैदेलॉजी के पद पर प्रोन्नत किया जाता है।

प्रेन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन
१	२	३
१	डा० सहाय रजा	पटना चिऽमहा०, पटना
२	डा० असीम मिश्रा	अनु०ना०म०चिऽमहा०, गया
३	डा० प्रकाश चन्द्र झा	पटना चिऽमहा०, पटना
४	डा० (श्रीमती) पूर्ण कुमारी	दरभंगा चिऽमहा०, दरभंगा
५	डा० आनन्द प्रकाश आनन्द	अनु०ना०म०चिऽमहा०, गया
६	डा० महेश प्रसाद	श्रीकृष्ण चिऽमहा०, मुज०
७	डा० चौदू प्रकाश जयसदात	नालंदा चिऽमहा०, पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

~~२३/१०८~~
(ज्ञानीसुदूरदीन अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- १७/ए-३-१२/०७ २३(१)

पटना, दिनांक- १६/१०८

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारखाग, पटना-७ को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषगार पदाधिकारी /वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आत सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव//अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशासा पदाधिकारी-१ एवं १७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~२३/१०८~~
सरकार के संयुक्त सचिव ।